प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2018**

विषयः- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि एवं उसके समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि (के0-60: रा0-40) की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 612/सम्प्रेक्षा/प्र0मं0आ0यो0/2018-19 दिनांक 03.08.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-J-12036/01/2018-RH(A/C)-1/A-Uttar Pradesh, दिनांक 25.06.2018 के माध्यम से प्रधानमत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों के सापेक्ष एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मद में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 6639.24 लाख की प्रथम किश्त के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 4426.16 लाख सहित कुल रू0 11065.40 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 के लक्ष्यों के आवास निर्माण हेतु एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 6639.24 लाख की प्रथम किश्त के समतुल्य मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0 4426.16 लाख सहित कुल धनराशि **रू0 11065.40 लाख (रू0 एक सौ दस करोड़ पैसठ लाख चालीस हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि में से आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सम्मिलित रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्तए ग्राम्य विकासए उ0प्र0 के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या- बी-1-1195/दस -16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एफ0एम0एस0 खाते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब कि प्रश्नगत कार्य/मद में पूर्व में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कृत कार्यो की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा शासनादेश में निर्दिष्ट निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही राज्यांश की धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

(13) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि को यदि आहरित कर किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज की धनराशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा संबंधित जनपदों की मांग/आवश्यकता का परीक्षण करते हुए धनराशि आवंटित की जायेगी।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(19) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 का होगा।

क्रमशः पृष्ठ-3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन **लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ई-892/X-18, दिनांक 24.08.2018 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 25/2018/1098(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के0 स0) अनुभाग।
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
12. विशेष कार्याधिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3
13. गार्डबुक।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।